

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3792

बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम

3792. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) के अंतर्गत स्वीकृत और स्थापित बायोगैस, बायो सीएनजी और विद्युत संयंत्रों की राज्यवार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में संख्या का ब्यौरा क्या है;
 - (ख) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग की गई निधि का राज्यवार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में ब्यौरा क्या है;
 - (ग) एनबीपी के अंतर्गत महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
 - (घ) एनबीपी के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में प्रदान की गई निधि का राज्य-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में ब्यौरा क्या है;
 - (ङ) क्या एनबीपी के द्वितीय चरण को अनुमोदित कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके बजटीय परिचय का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
 - (च) क्या सरकार की एनबीपी को 2025-26 से आगे बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
 - (छ) क्या एनबीपी के कार्यान्वयन से ग्रीन हाउस गैसों में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

- (क) राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) के अंतर्गत स्वीकृत और स्थापित बायोगैस, बायोसीएनजी और विद्युत परियोजनाओं की संख्या का आंध्र प्रदेश राज्य सहित राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।
- (ख) वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान एमएनआरई द्वारा एनबीपी के अंतर्गत जारी निधियों का आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।
- (ग) लघु बायोगैस संयंत्रों के लिए एनबीपी के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की राज्यवार संख्या अनुलग्नक-III में दी गई है। महिला लाभार्थियों का विवरण रखने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। तथापि, महिलाएं अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य लाभार्थी हैं क्योंकि खाना पकाने के लिए बायोगैस का उपयोग स्वच्छ ईंधन के रूप में किया जाता है।
- (घ) एनबीपी के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को प्रदान की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता का आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-IV में दिया गया है।
- (ङ) और (च): एनबीपी का चरण-II विचाराधीन है और प्रस्ताव पर विमर्श किया जा रहा है।
- (छ) एनबीपी के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान बायोगैस संयंत्रों की स्थापना द्वारा प्रति वर्ष लगभग 22.72 लाख टन समतुल्य कार्बन डाईऑक्साइड को नियंत्रित किया गया।

‘राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.12.2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3792 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

(i) राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) के अन्तर्गत स्वीकृत एवं स्थापित बायोगैस/बायो सीएनजी तथा विद्युत संयंत्रों का आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	एनबीपी के अन्तर्गत परियोजनाएं (30.11.2024 तक)					
		बायो-सीएनजी		बायोगैस		विद्युत	
		स्वीकृत	चालू	स्वीकृत	चालू	स्वीकृत	चालू
1	आंध्र प्रदेश	4	4	-	-	2	2
2	दिल्ली	2	-	-	-	-	-
3	गोवा	-	-	-	-	1	1
4	गुजरात	4	4	-	-	-	-
5	हरियाणा	8	6	1	1	3	2
6	झारखण्ड	1	-	-	-	-	-
7	कर्नाटक	4	3	-	-	2	1
8	मध्य प्रदेश	2	1	-	-	-	-
9	महाराष्ट्र	7	4	-	-	18	13
10	ओडिशा	-	-	-	-	1	1
11	पंजाब	7	5	-	-	6	5
12	राजस्थान	2	2	-	-	-	-
13	तमिलनाडु	5	4	-	-	12	8
14	तेलंगाना	3	2	2	2	5	3
15	उत्तर प्रदेश	15	9	-	-	5	4
16	उत्तराखण्ड	1	-	-	-	2	1
17	पश्चिम बंगाल	-	-	2	1	1	-
	कुल	65	44	5	4	58	41

(ii) राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित लघु बायो गैस संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष			
		2022-23	2023-24	2024-25 (30.11.2024 तक)	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	30	0	2	32
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	200	0	200
3.	असम	0	190	0	190
4.	बिहार	9	30	95	134
5.	छत्तीसगढ़	118	405	28	551
6.	गोवा	11	0	0	11
7.	गुजरात	224	1074	582	1880
8.	हरियाणा	43	369	70	482
9.	झारखण्ड	0	11	0	11
10.	कर्नाटक	2488	961	34	3483
11.	केरल	683	655	0	1338
12.	मध्य प्रदेश	2132	2313	423	4819
13.	महाराष्ट्र	5180	5924	3083	11454
14.	मिजोरम	0	1	0	1
15.	नागालैंड	0	52	0	52
16.	ओडिशा	96	32	13	141
17.	पंजाब	835	1212	70	2117
18.	राजस्थान	20	347	156	523
19.	तमिलनाडु	46	65	8	119
20.	तेलंगाना	0	12	0	12
21.	त्रिपुरा	0	51	0	51
22.	उत्तर प्रदेश	126	174	0	300
23.	उत्तराखण्ड	266	815	170	1149
24.	पश्चिम बंगाल	0	57	30	87
	कुल	11143	14950	3044	29137

अनुलग्नक-II

‘राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.12.2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3792 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

एनबीपी के अन्तर्गत उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

(दिनांक 30.11.2024 तक, करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/एजेंसी	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	कुल
1	आंध्र प्रदेश	50.47	2.74	0.00	53.21
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.39	0.00	0.39
3	असम	0.10	1.26	0.43	1.79
4	छत्तीसगढ़	3.69	0.95	0.00	4.64
5	गुजरात	1.39	8.14	1.02	10.55
6	गोवा	0.00	3.03	0.00	3.03
7	हरियाणा	3.54	0.00	2.00	5.54
8	कर्नाटक	0.12	13.36	11.28	24.76
9	मध्य प्रदेश	0.28	7.81	1.98	10.07
10	महाराष्ट्र	1.75	12.60	30.31	44.66
11	मणिपुर	0.00	0.22	0.00	0.22
12	मेघालय	0.00	0.22	0.15	0.37
13	नागालैंड	0.00	0.18	0.00	0.18
14	ओडिशा	0.11	0.32	0.48	0.91
15	पंजाब	3.81	2.34	8.95	15.10
16	राजस्थान	0.10	2.32	0.25	2.67
17	तमिलनाडु	0.09	2.84	0.50	3.43
18	तेलंगाना	0.33	0.29	6.21	6.83
19	त्रिपुरा	0.00	0.70	0.91	1.61
20	उत्तर प्रदेश	1.82	6.51	22.73	31.06
21	उत्तराखण्ड	0.00	0.77	1.26	2.03
22	पश्चिम बंगाल	0.07	2.10	0.00	2.17
23	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.11	0.00	0.11
24	दिल्ली	0.00	0.23	0.27	0.50
25	केवीआईसी, मुंबई	0.00	0.99	2.25	3.24
	कुल	67.67	70.42	90.98	229.06

‘राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.12.2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3792 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

एनबीपी के अन्तर्गत लघु बायो गैस संयंत्रों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायो गैस संयंत्र लाभार्थियों की संख्या (दिनांक 30.11.2024 तक)	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	आन्ध्र प्रदेश	80	29
2.	अरुणाचल प्रदेश	7	56
3.	असम	11	17
4.	बिहार	30	8
5.	छत्तीसगढ़	225	132
6.	गोवा	21	2
7.	गुजरात	205	740
8.	हरियाणा	30	8
9.	हिमाचल प्रदेश	30	8
10.	जम्मू एवं कश्मीर	24	5
11.	झारखण्ड	35	14
12.	कर्नाटक	65	56
13.	केरल	77	38
14.	मध्य प्रदेश	596	1086
15.	महाराष्ट्र	699	651
16.	मणिपुर	36	15
17.	मेघालय	103	122
18.	नागालैंड	7	2
19.	ओडिशा	28	2
20.	पंजाब	72	5
21.	राजस्थान	80	195
22.	सिक्किम	7	2
23.	तमिलनाडु	90	51
24.	तेलंगाना	2	0
25.	त्रिपुरा	184	59
26.	उत्तर प्रदेश	105	30
27.	उत्तराखण्ड	92	35
28.	पश्चिम बंगाल	47	11
29.	दिल्ली	21	2
	कुल	2984	3379

अनुलग्नक-IV

‘राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.12.2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3792 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-IV

एनबीपी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को सीएफए के रूप में प्रदान की जाने वाली निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(दिनांक 30.11.2024 तक)

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25		कुल सीएफए
	राज्य/एजेंसी	अनु. जा.	अनु. जन जा.	अनु. जा.	अनु. जन जा.	अनु. जा.	अनु. जन जा.	
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.07	0.24	0.00	0.00	0.31
3	असम	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.04
5	छत्तीसगढ़	0.11	1.57	0.14	0.11	0.00	0.00	1.94
6	गुजरात	0.00	0.00	1.72	0.69	0.00	0.00	2.41
12	कर्नाटक	0.00	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	1.42
15	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.97	1.41	0.15	0.73	3.26
16	महाराष्ट्र	0.00	0.00	1.51	0.81	1.63	2.02	5.97
17	मणिपुर	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.09
18	मेघालय	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.15	0.24
20	नागालैंड	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
21	ओडिशा	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.04
22	पंजाब	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.04
23	राजस्थान	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	0.05
26	तेलंगाना	0.00	0.00	0.09	0.06	0.00	0.00	0.14
27	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.07	0.10	0.28	0.10	0.55
28	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.15	0.03	0.00	0.00	0.18
29	उत्तराखण्ड	0.00	0.00	0.12	0.06	0.11	0.02	0.31
33	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.06
38	केवीआईसी, मुंबई	0.00	0.00	0.17	0.06	0.16	0.10	0.49
	कुल	0.11	1.57	5.98	3.75	3.04	3.12	17.57
